राँची जनपद की अनुसूचित जाति की महिलाओ की सामाजिक एवं राजनीतिक विकास का विश्लेषणात्मक अध्ययन

सुपरवाइज़र
प्रोफेसर रामजी सिंह
वाईबीएन विश्वविद्यालय
राजनीति विज्ञान विभाग

रिसर्च स्कालर
आरती कुमारी
राजनीति विज्ञान
वाईबीएन विश्वविद्यालय

प्रस्तावना

भारत एक बहुआयामी देश है, जिसमें कई धर्मों के माननेवाले, कई भाषाएँ बोलनेवाले एवं कई संस्कृतियोंवाले लोग निवास करते है, इनमें कुछ ऐसे समुदाय के लोग भी निवास करते है, जिनके धर्म, जिनकी भाषाएँ और जिनकी संस्कृति औरों से बिल्कुल अलग–थलग है। उनकी सामाजिक. आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्थाएँ भी औरो से बिल्कुल अलग है। इतना ही नहीं, इन समुदायों के लोग औरों से बिलकुल अलग है। यदि इन समुदायों के लिए अलग शासन–व्यवस्था नहीं होगी तो इनकी पहचान और अस्मिता ही समाप्त हो जाएगी। अतएव उन्होंने समय–समय पर भारत के शासन के लिए बनाए गए विभिन्न कानूनों में इन समुदायों के लिए अलग शासन–व्यवस्था देने की कोशिश की गयी।

जब संविधान की प्रस्तावना पर बहस चल रही थी, तब संविधान सभा के समक्ष अनुसूचित जातियों के बारे में अपनी बात रखते हुए झारखण्ड के विद्वान् नेता जयपाल सिंह मुडा ने कहा था, आप अनुसूचित जातियों को लोकतंत्र के बारे में नहीं सिखा सकते, आपको लोकतांत्रिक तरीका उनसे सीखना पड़ेगा। वे इस पृथ्वी के सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक लोग है। हमारे लोग सुरक्षा के पर्याप्त साधन

नहीं, सुरक्षा चाहते हैं। हम कोई भी विशेष सुरक्षा नहीं चाहते, हम चाहते है कि हमें भी अन्य भारतीय की तरह माना जाए।

अधिकांश अनुसूचित जाति के लोग संस्कृति के प्राथमिक धरातल पर जीवनयापन करते है। वे सामान्यतः क्षेत्रीय समूहों में रहते है और उनकी संस्कृति अनेक दृष्टियों से स्वयंपूर्ण रहती है। भारत में अनुसूचित जाति के समूहों की संख्या 700 से अधिक है। झारखण्ड में 32 से अधिक समूह अथवा अनुसूचित जातियाँ रहती है। इनकी आबादी लगभग 85 लाख के करीब है। झारखण्ड क्षेत्र विभिन्न भाषाओं संस्कृतियों एवं धर्मों का संगम क्षेत्र कहा जा सकता है। यहाँ की महिलाएँ पुरूषों से कमतर नहीं है, न जनसंख्या के मामले में और न ही सामाजिक आर्थिक गतिविधियों के मामले में। विकास और आर्थिक परिवर्तन पुरूषों और महिलाओं को विधिध तरीकों से प्रभावित करते है। आधुनिकीकरण की नई लहर के बावजूद भारतीय अनुसूचित जाति की महिलाएँ अपनी भाषा, पहनावे औजारों और संसाधनों में अनिवार्य रूप से पारंपरिक हैं।

आज जब औधोगिक विकास हेतु खनिज और वन संपदा के क्षेत्र अर्थव्यवस्था के लिए अति उपयोगी माने जाते है और यह सारी सुविधाएँ इन्हीं अनुसूचित जातियों को आसानी से प्राप्त होती है तो क्या क्षेत्रीय राष्ट्रीय लाभ के लिए इनको विस्थापित कर अपनी जिंदगी सामाजिक संरचना संस्कृति और नैतिक मूल्य से वंचित कर दिया जाए मतलब आज सबसे बड़ी जरूरत जो दिख रही है वह यह है कि देश के विकास की अवधारणा के बारे में एक बार पुनः विचार किया जाए ताकि नई अवधारणा के बाद अनुसूचित जाति लोगों को भी उनके सुविधाओं से वंचित किया जाए एवं उनके अधिकारों की रक्षा की जाए तभी इनके संस्कृति की रक्षा होगी।

प्रत्येक जातीय समूह या समाज की अपनी अनूठी विशेषताएँ, मूल्य–प्रणालियाँ, पारंपरिक रीति–रिवाज, जीवन–दृष्टिकोण, सामाजिक पदानुक्रम, धर्म और परंपराएं होती हैं। जीवन और मृत्यु, बीमारी, व्यक्ति और समुदाय, और सबसे बढकर, पहचान की भावना के प्रति इसका अपना दृष्टिकोण है। पहचान या सांस्कृतिक आत्म–छवि की इस भावना के हमेशा सकारात्मक और नकारात्मक पहलू होते हैं, यह जातीय समूह की एकजुटता और विशिष्टता के लक्षणों को परिभाषित करता है, और आसपास के बडे समाज में अन्य समूहों के साथ मतभेदों की तलाश करता है।

जाति प्रथा का स्वरूप

भारत में जाति प्रथा का स्वरूप वर्ण व्यवस्था पर आधारित रहा है। इसकी जडे अत्यधिक गहरी है। ये व्यवस्था हजारो वर्षो से हिन्दू समाज के उत्थान और पतन से सम्बन्धित रही है। इसकी उल्लेखनीय विशेषता यही रही है कि ये सर्वमान्यनीय रूप में स्वीकार भी कर ली गयी है और इसका निरन्तर विरोध भी होता रहा है। इसका स्वरूप और प्रभाव विवादग्रस्त रहा है। परन्तु यह हिन्दु समाज की एक अनूठी वास्तविकता है और यह इस विश्वास पर आधारित है कि यह ईश्वर प्रदत्त व्यवस्था है।

अनुसूचित जातियों का संवैधानिक स्वरूप

भारतीय गणराज्य की संवैधानिक व्यवस्था के अर्न्तगत अनुसूचित जातियों को सूचीबद्व करने का अधिकार राष्टपति अर्थात केन्द्रीय कार्यपालिका को प्रदान किया गया है। राज्य के राज्यपाल से परामर्श अथवा विचार विमर्श करने के पश्चात ही इस सन्दर्भ में अधिसूचना जारी करता है। अधिसूचना के बाद जो जातियाँ

अधिसूचित या सूचीबद्व की जाती है उन्हे अनुसूचित जाति नाम से सम्बोधन किया जाता है। कार्यापालिका द्वारा की गयी अधिसूचना को वापस लेने या सशोधन करने का अधिकार किसी को नही होता। अधिसूचना मे परिर्वतन या सशोधन संसद द्वारा विधि बनाकर किया जा सकता है। संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा सूचीबद्व की गयी जातियाँ जिन्हे अनुसूचित जाति मान लिया गया है उनके चहुँमुखी विकास को देश के कर्णधारो एवं नीति निर्धारको नक देश हित मे उचित ठहराया है। क्योकि नियोजित विकास कुल आबादी के बहुसंख्यक वर्ग (अनुसूचित जातियो) के बिना सम्भव नही है इसलिए एक लम्बे समय से अनुसूचित जातियों को देश की मुख्यधारा मे शामिल करना अनिवार्य समझा गया है। भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक नागरिक कानून के समक्ष समान माना गया है। अनुच्छेद 14 में समानता को प्रतिपादित करते हुए अनुच्छेद 15,16 तथा 29 मे व्यापक रूप से स्पष्ट किया गया है कि केवल धर्म, वर्ण, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव करने पर अपराध माना जायेगा, चाहे वह रोजगार, शैक्षणिक संस्थाओं अथवा सार्वजनिक संस्थाओ तथा सार्वजनिक स्थानो मे प्रवेश के बारे मे हो। भारतीय सामाजिक व्यवस्था भेदात्मकता की जंजीरो मे जकडी हुई है उससे मुक्त करना देश की आजादी की अपेक्षा बहुत अधिक कठिन है, क्योकि हिन्दू समाज की असमानता को ईश्वरीय वरदान कहा गया है।

अनुसूचित जातियों के सामाजिक और राजनीतिक विकास का राज्य पर उत्तरदायित्व

भारतीय समाज व्यवस्था का अविभाजित अंग, जिसे संवैधानिक भाषा मे अनुसूचित जाति के नाम से जाना जाता है। इसका विकास देश की एकता की समस्या का एक महत्वपूर्ण पहलू है। संविधान द्वारा निर्धारित समाजवादी व्यवस्था के लक्ष्य प्राप्त

करने के लिए इन जातियों का उत्थान आवश्यक ही नही बल्कि अनिवार्य भी है क्योकि सामाजिक एकीकरण की प्रक्रिया में इन जातियों का उत्थान का विशेष राजनीतिक महत्व है इसलिए भारत के संविधान में इन जातियों के लिए विशेष रक्षोपायों की व्यवस्था की गयी है और इनका विकास राज्य का एक उत्त्रदायित्वपूर्ण कर्तव्य बताया गया है।

जाति एवं राजनीति का ध्रुवीकरण

वर्तमान परिस्थितियों में कुछ विचारक ऐसे भी है जो जाति–संस्था के बारे में कोई दुराग्रह नहीं रखते, किन्तु वे राजनीति के माध्यम से जाति–संस्था की काया–पलट होने की बात करते है। अमेरिकन विचारक ने इसे जाति का लोकतन्त्रीय अवतार कहा है। ये सब विचारक जाति और राजनीति को परस्पर विरोधी तत्वो के रूप में देखते हैं। वे यह समझने में असफल रहे कि भारत में राजनीति और जाति में पूर्ण ध्रुवीकरण कभी नहीं हुआ। आज भारत में परिवर्तन की जो लहर देखने को मिल रही है, उसका आशय यह नहीं है कि नई लोकतन्त्रीय प्रणाली के रूप मे पुरानी जाति प्रथा और उच्च जातियों की प्रधानता तथा निम्न जातियों की अधीनता का ढाँचा कायम है अथवा पुरानी जाति–प्रथा का स्थान नई राजनैतिक प्रणाली ने ले लिया है। जाति–प्रथा और ऊँच–नीच की धारणा में कुछ परिवर्तन हुआ जरूर है,जैसे–अब जाति की ऊँचाई या नीचाई छुआछुत के ऊपर उतनी निर्भर नहीं रही, बल्कि अब धीरे–धीरे पुरानी जजमानी प्रथा भी टूट रही है, किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि जाति की प्रथा टूट रही है, अपितु केवल प्रचलित सालाजिक विचारो मे कुछ परिवर्तन हुआ है।

झारखण्ड और अनुसूचित जाति

अनुसूचितो के संदर्भ में यदि झारखण्ड की बात करें तो 15 नवम्बर 2001 को झारखण्ड राज्य का उदय हुआ। झारखण्ड की आबादी में मुख्य रूप से अनुसूचित जाति के लोग शामिल थे। झारखण्ड मे 30 से अधिक विशिष्ट अनुसूचित जाति के समुदाय है और इन जातियों को झारखण्ड की आबादी के अनुसूचित जाति समूह के अर्न्तगत रखा गया है। इन जातियो को उनकी भाषा और सांस्कृतिक प्राथमिकताओं के आधार पर अलग किया जाता है। आज अनुसूचित समाज में जैसे–जैसे एक छोटा मध्यवर्ग उभर रहा है वैसे ही इस समुदाय से लोग नये और आधुनिक, तकनीक, विचार, सोच, जीवन–शैली के अलावा नये कार्य क्षेत्रों को भी अपना रहे हैं– आधुनिक शिक्षा एवं उभरती सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक जटिलताओं और अवसरों ने उनके जीवन को कई तरह से प्रभावित किया है।

झारखंड एक ऐसा राज्य है जो सांस्कृतिक दृष्टि से हमेशा से संपन्न रहा है अगर हमारी नजर सिर्फ पर्यटन की नजर ना होकर औद्योगिक विकास की ओर भी देखें तो झारखंड अपनी संस्कृति की विशिष्ट पहचान रखता है यह क्षेत्र यहां के जंगली उत्पादों का प्रयोग, झूम खेती, शिकार करना और जडी बूटियों को एकत्रित करना इनका पेशा रहा। जंगल के बाहर रहने वाले लोगों से भी इनका अच्छा संबंध रहा। न ये किसी के मामले में दखल देते थे न ही कोई इनके मामले में दखल देता था। अपने त्यौहार मनाते थे, आज भी मनाते है। अंगेजी शासन आने के बाद इनके जीवन शैली से लेकर जीविका धर्म, रीति–रिवाज मान्यताओं में घुसपैठ होने लगी। सरकार की साम्रज्यवादी नीतियों, वन्य कानूनों और व्यापार के दख्ल ने इनका जीना दूभर कर दिया। फलस्वरूप सदा शांत और स्थिर रहने वाले

अनुसूचित जातियों का गुस्सा फूट पड़ा। समय समय पर कई अनुसूचित जाति के समूहों ने अंगेजी सरकार से लोहा लिया और सशस्त्र विद्रोह भी किया।

अनुसूचित जाति की महिलाएँ :–

अनुसूचित जाति की महिलाओं की बात करें तो आज भी उनका जीवन संघर्षपूर्ण है। ये महिलाएँ किसी भी अन्य सामाजिक समूह की तरह, कुल आबादी का लगभग आधा हिस्सा है। ये महिलाएँ सभी सामाजिक समूहों मे पुरूषों की तुलना में अधिक निरक्षर हैं। अन्य सामाजिक समूहों की तरह अनुसूचित जाति की महिलाऍं प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का सामना करती है। जब प्राथमिक और माध्यमिक निर्वाह गतिविधियों की गणना की जाती है, तो महिलाएँ पुरूषों की तुलना में अधिक काम करती है। विभिन्न समाजों में महिलाओं की स्थिति भिन्न भिन्न होती है।

महिलाओं की भूमिका ने केवल आर्थिक गतिविधियो में महत्वपूर्ण है बल्कि गैर–आर्थिक गतिविधियों में उनकी भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अनुसूचित जाति की महिलाएं बहुत मेहनत करती है, कुछ मामलों में तो पुरूषों से भी ज्यादा। अध्ययन क्षेत्र में सभी समाज पितृसत्तात्मक है जिनमे सार्वजनिक क्षे़त्र मे पुरूषो का वर्चस्व है। हालांकि़ अपनी दुनिया मे महिलाओं को स्वतंत्रता और आत्म–अभिव्यक्ति है। विकास कार्यक्रमों की शुरूआत के साथ आर्थिक परिवर्तन हो रहे है लेकिन अनुसूचित जाति की महिलाएँ अपने पहनावें भाषा औजारों और संसाधनों में पारंपरिक बनी हुई है क्योंकि वे नकदी फसलों के बजाय खाद्य फसलें उगाती हैं। आधुनिकीकरण परिवर्तन ला रहा है जो पुरूषों और महिलाओं को अलग तरह से प्रभावित करता है।

अनुसूचित समाज जो सामाजिक विकास क्रम में आदिम अवस्था के सबसे गरीब है उनमें अब भी मातृसत्तात्मक समूह पाए जाते है कई समूहों में तो पति एक अस्थाई सदस्य माना जाता है जिन मात्र वंशी समूहों का मुखिया पुरूष होता है उनमें भी स्त्री सम्मानीय पद पर होती है वैसे तो कई पुत्र सत्तात्मक समूहों में आदमी और औरत का दर्जा लगभग एक समान है परंतु बहुत सारे ऐसे समूह है जिनमें विवाह विच्छेद और पुनर्विवाह होते है इस संबंध में आदमी और औरत दोनों को समान अधिकार प्राप्त होते है। अधिकाशं आम लोगो के लिए न केवल झारखण्ड के अनुसूचित जातियो ने अपनी भूमि और जंगलो पर नियंत्रण खो दिया है बल्कि यहाँ की नियंत्रण़ प्रबंधन और उत्पादन साझा करने की पहले ही सामुदायिक प्रणालियाँ बिखर रही है। सबसे ज्यादा वे महिलाएँ है जिनकी स्थिति जंगल से जमीन पर जाने और रोजमर्रा की जिन्दगी मे जातिगत मूल्यो के बढते प्रभाव के सीधे अनुपात मे घटती दिख रही है। इस प्रकार राजनीति और संसाधन प्रबंधन के मामले में स्थानीय समुदाय मे महिलाओ की भागीदारी कम हो जाती है क्योकि हम चरागाह जातियो से मुख्य रूप से कृषक जातियो की ओर बढते है।

अनुसूचित जाति की महिलाओं का सामाजिक जीवनः—

स्त्री अपने सम्पूर्ण जीवन में बहुत सारे रिश्ते निभाती है और उनका सम्मान करती है। स्त्री के अंदर ही इतनी क्षमता होती है जो सभी रिश्तों का मान रखती हुई अपने जीवन में आगे बढती है। लोकगीतों और लोककथाओं की परम्परा को आगे बढाने में स्त्रियों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। जीवन के विभिन्न पक्षों की सरल तथा स्वाभाविक अभिव्यक्ति महिला द्वारा गाए लोकगीतों में ही होती है। लोकपर्व अनुसूचिता की पहचान है। कोई भी पर्व स्त्री के बिना अधूरा होता है। वे इसमें

बढ–चढकर हिस्सा लेती है। इनके अधिकांश त्योहार क्षेत्रीय क्षेत्रो से जुडे होते है। पर्यावरण के विनाश के साथ ही इनका सांस्कृतिक क्षरण होने लगा है।

आधुनिक वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के परिणामस्वरूप आये परिवर्तनों से अनुसूचित जाति की स्त्री भी वंचित नहीं रही है। बदलते समय में इन महिलाओं में भी बदलाव आया है। शिक्षा के प्रचार के कारण देश और समाज में आये नवीन परिवर्तनों ने अनुसूचित जाति की नारी की जीवन शैली और जीवन दृ ष्टि को सर्वथा नवीन आयाम प्रदान किया है।

इन महिलाओं में अशिक्षा के कारण अंधविश्वास भी बहुत है। इनमें किसी बीमारी के होने पर भूत–प्रेत का प्रकोप माना जाता है और जब तक बीमार व्यक्ति की हालत गम्भीर नहीं हो जाती, तब तक अस्पताल नहीं ले जाया जाता है। बच्चों की शिक्षा और प्रौढ शिक्षा के द्वारा इन अंधविश्वासों को दूर किया जा सकता है। प्रौढ शिक्षा केन्द्रों को अक्षर ज्ञान का केन्द्र न बनाकर अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र बनाया जाए, जिससे ये महिलाएँ वर्तमान समय से भी परिचित हो सके और उनका शोषण गैर– समुदायो द्वारा न किया जा सके।

अनुसूचित जाति की नारी पर आधुनिकता का प्रभाव हो रहा है। वे सभी क्षेत्र में अपने कदम बढा रही है। स्त्री का केवल स्वतंत्र होकर निर्णय लेना या आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाना ही उनकी अस्मिता नहीं है। स्त्री अस्मिता का अर्थ है स्त्री के प्रति समाज के दृष्टिकोण और मानसिकता में बदलाव, जिसमें स्त्री का स्वयं का दृष्टिकोण भी शामिल हो।

इन महिलाओं को शिक्षित करके उनके आने वाले भविष्य को संवारा जा सकता है। इनमें जन–जागृति लाकर, इनमें व्याप्त बुराइयों से अवगत कराकर इन्हें आगे बढाया जा सकता है।

अनुसूचित जाति की महिला सभी क्षेत्रों में अपनी भूमिका जिम्मेदारी के साथ बखूबी निभाती है। पारिवारिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, राजनैतिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र तथा कलाओं के क्षेत्र में ये नारी संघर्ष करती हुई आगे बढ रही है।

आज भी भारत में औरत अगर अपने त्यागमयी रूप से जरा सी भी विचलित होती है तो वह तुरन्त कुलय या खलनायिका करार दी जाती है। उसकी शुचिता के लिए पति के प्रति एकनिष्ठ होना ही कसौटी माना गया है। वह पति. परिवार, देश अथवा समाज की ही सम्पत्ति है, वहीं तक उसकी हद है। कहने के लिए ही भारतीय मानस औरत को पूज्य कहता है लेकिन डग डग पर उसे माया, ठगनी, कुटनी कहकर अपमानित करता रहा है।

अनुसूचित जाति में महिलाओं को बराबर का दर्जा दिया गया है। पारिवारिक क्षेत्र में वे अपनी सक्रीय भूमिका निभाती है। जातीय स्त्री के अधिकार पुरुष से कम होने पर भी इससे उसकी स्थिति किसी भी प्रकार से नीची नहीं होती क्योंकि जातीय जीवन में राजनीतिक अधिकारों से अधिक कर्तव्यों पर जोर है। इस जाति के मुखिया को बहुत से अधिकार होते है परन्तु फिर उस पर जाति की रक्षा का भार भी होता है। इस गुरुतर कर्तव्य को पूरा न करने पर कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों को अक्षुष्ण नहीं रख सकता। वास्तव में जातीय समाजों में राजनीति के क्षेत्र में अधिकारों की निर्णायक शारीरिक और शस्त्र सम्बन्धी शक्ति होती है। अतः यह नितान्त स्वाभाविक है कि पुरुषों के अधिकार अधिक है। परन्तु ऐसे आदिम समाज भी है जहाँ सारे राजनीतिक अधिकार स्त्रियों के हाथ में होते हैं। अनुसूचित जाति की महिलाओं को

समाज में बराबर का दर्जा दिया गया है। इस प्रकार के समाजों में महिलाओं की स्थिति का आंकलन करने के लिए उनकी सामाजिक स्थिति को देखना चाहिये। ये स्वावलंबी होती है तथा स्वयं खट–कमाकर अपने परिवार का पालन–पोषण करती है। ऐसी महिलाओं को सम्पत्ति में हिस्से का हक न होने की वजह से विधवा या परित्यक्ता होने पर अपमानित, प्रताडित या उनकी हत्या कर देना इनके समाज में आम बात हो गयी थी।

अनुसूचित जाति की समाज में बहुत सी ऐसी बाते हैं, जिनसे स्त्रियों को आगे बढने से रोका जाता है। पुरुषवादी समाज में उसे कोई अधिकार नहीं दिए जाते है। आज इस प्रकार के समाज में औरतों को लेकर सोच में परिवर्तन होना चाहिये।

अनुसूचित जाति की महिला किसी भी काम में पुरुष से पीछे नहीं होती है, बल्कि पुरुष से अधिक काम करती है। सब्जी बेचने वाली औरतें बाजारों, शहरों या हाटों में दो से दस कोस तक की दूरी पैदल तय करती हैं और तब कहीं कुछ पैसे कमा पाती हैं। महुआ चुनने वाली औरतें प्रायः शोषण का शिकार होती हैं। ऐसी ही स्थिति लकडियाँ चुनने वाली औरतों की भी है।

अनुसूचित जाति की महिलाओं की राजनीतिक पृष्ठभूमि :–

अनुसूचित जाति की महिलाएँ राजनीति के क्षेत्र में आगे तो आ रही है लेकिन नतीजा फिर भी संतोषजनक नहीं हैं वह आज भी अपने निर्णयों के लिए औरों पर निर्भर है इसका एक मुख्य कारण शिक्षा और जानकारी का अभाव है जब महिलाएँ शिक्षित होंगी तो वह अपने आप चुनाव पंचायत कानून इत्यादि विषयों को समझेगी। महिलाओं की राजनीति के क्षेत्र में भागीदारी बढाने के लिए कई प्रयास

किए गए है। झारखण्ड में भी पंचायतों में एक–तिहाई सीटों पर महिलाओं के लिए आरक्षण यानी अपने समाज का भविष्य बनाने में निर्णायक भूमिका निभाने के अवसर पंचायती राज अधिनियम में दिये गये हैं। यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को पूरी तरह कार्यान्वित किया गया तो झारखण्ड के इतिहास में पहली बार महिलाएँ ऐसा निर्णय लेगी जिससे उनकी भावी जिन्दगी प्रभावित होगी।

आरक्षण के प्रावधानों के चलते झारखण्ड में कम–से–कम 16.658 पंचायत वार्ड सदस्य, 1553 पंचायत समिति के सदस्य तथा जिला परिषद में 160

महिला सदस्य पंचायत राज व्यवस्था में आयेंगी। संख्या के तौर पर देखा जाए तो ग्रामीण अभिशासन से सशक्त महिलाओं का नेतृत्व उभरेगा। ग्रामीण अभिशासन में लगभग 40 फीसदी महिला प्रतिनिधियों (आरक्षण के इतर उपलब्धियों को लेकर) के चुने जाने के संभावना है।

असल चुनौती झारखण्ड में महिलाओं के नेतृत्व विकास को लेकर ही है। ग्रामीण परिदृश्य पर नजर डालें तो महिला नेतृत्व का घोर अभाव दिखता है। झारखण्ड की सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक परिस्थितियाँ महिला नेतृत्व के उभरने में जहाँ बाधक बनीं, वहीं किसी भी राजनीतिक दल ने ग्रामीण क्षेत्र में महिला नेतृत्व के विकास के लिए कोई प्रक्रिया चलायी ही नहीं। ग्रामस्तर पर महिलाओं का जो राजनीतिकरण होना चाहिए था वह नहीं हुआ। ग्रामीण विकास में लगी स्वयंसेवी संस्थाओं ने सामाजिक नेता के तौर पर सैकडों महिलाओं को तैयार किया है। यह एक बडी उपलब्धि मानी जानी चाहिए। झारखण्ड में बीस हजार से ज्यादा महिला मंडलों का गठन हुआ है। इन महिला मंडलों का फोकस महिलाओं का आर्थिक विकास है। आर्थिक विकास की प्रक्रिया में महिलाएँ सामाजिक रूप से जागृत हुई हैं। अपने अधिकारों के प्रति सचेत हुई है, और इस क्षेत्र में बाधक सामाजिक

अवरोधों को हटाने के लिए छोटा–बडा अभियान चला रही हैं। विशेष अनुसूचित क्षेत्र में कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं ने सशक्त महिला विकास को गति दी है।

लेकिन यह स्थिति झारखण्ड की सभी 3750 पंचायतों में नहीं है। सभी पंचायतों में स्वैच्छिक संगठनों की उपस्थिति भी सुनिश्चित नहीं हो पायी है। संकेत है कि महिला मंडल से जुडी कुछ महिलाएँ पंचायत चुनावों में भाग लेंगी। इनकी संख्या भले ही कम है, लेकिन वे ग्रामीण अनुशासन में एक अभिनव हस्तक्षेप की

स्थिति में हैं। वे विकास की कार्य–सूची को बदलने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायेंगी। उनके लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, आयवर्द्धन के कार्यक्रम, सामाजिक कुरीतियों का निवारण, आपसी सहयोग एवं समन्वय महत्त्वपूर्ण है। झारखण्ड में चुनी जाने वाली साढे अठारह हजार निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को जिनमें अधिकांश निरक्षर एवं कुपोषित हैं, सत्ता का हस्तांतरण निस्संदेह एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक परीक्षण है। इन महिलाओं को अपने परिवारों, गाँवों तथा समाज को उन्नत समूह बनाने के लिए असंख्य बाधाओं भरी राह पर चलने का जोखिम उठाना है। संसाधनों तक उनकी पहुँच उनके उपयोगी अधिकार एवं पर्याप्त जानकारी प्रदान कर उनके विचारों एवं निर्णयों को मान्यता देकर ही ग्रामीण अभिशासन की सच्चाई बन सकेगी।

झारखण्ड के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में पुरुषों के साथ समानता के आधार पर महिलाओं की भागीदारी एक बाधा है यह समाज और परिवार की समृद्धि को रोकती है तथा मानवता की सेवा में महिलाओं की क्षमता के पूर्ण विकास को और भी कठिन बना देती है। सच तो यह है कि महिला श्रम के कारण ही बच्चों एवं परिवारों को भोजन मिलता है। घर से बाहर

तक पूरा परिवार महिलाओं पर ही निर्भर रहता है, जल और ईंधन महिलाएँ ही इकट्ठा करती हैं। परिवार के खेत और गाँव की अर्थव्यवस्था महिलाओं के श्रम के बल पर फलती–फूलती है। घर का रख–रखाव, घास–पतवार निकालना, खाद–पानी डालना आदि काम महिलाएँ ही करती है। वन–उत्पादों पर आधारित लघु उपजों में भी महिलाओं का 51 प्रतिशत श्रम कुल कृषि–श्रम में 55 से 66 फीसदी योगदान स्त्रियों का है। ग्रामीण झारखण्ड का भविष्य पर्यावरण, जनसंख्या, कुपोषण, शिक्षा एवं स्वास्थ्य की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने पर निर्भर करेगा।

शोध–प्रस्ताव का उद्देश्य

प्रस्तुत शोध में राँची जिले में अनुसूचित जाति की महिलाओं की सामाजिक एवं राजनीतिक विकास के प्रभावों का व्यवहारिक एवं सैद्धांतिक पक्षों का अध्ययन करना है। साथ ही इन महिलाओं के सामाजिक, राजनीतिक जागरूकता की समस्या पर प्रकाश डालते हुए उसका समाधान प्रस्तुत करना होगा जो भविष्य में इस क्षेत्र में अनुसूचित जाति की महिलाओं से संबंधित किसी भी सरकारी तथा गैर सरकारी योजना निर्माण के लिए दिशा निर्देश प्रदान करने का काम करेगी।

किसी भी भी समाज का सामाजिक और राजनीतिक विकास महिलाओं के विकास के बिना संभव नहीं है। अनुसूचित जाति की महिला न सिर्फ घर को संवारने में बल्कि परिवार को आर्थिक दृष्टि से मजबूती प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। जनतांत्रिक विकास पुरुष और स्त्री की समान भागीदारी और सक्रियता पर निर्भर करता है। पिछडा हुआ अनुसूचित समाज का सामाजिक और राजनीतिक विकास उसकी राजनीतिक भागीदारी पर निर्भर करता है। विकासशील समाज में विकास का महत्वपूर्ण साधन राजनीतिक सत्ता होती है

इसलिए अनुसूचित समाज में महिलाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण हो जाती है। तभी हम एक स्वस्थ जनतांत्रिक शासन व्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं।

शोध की प्रासंगिकता तथा महत्त्वः

प्रस्तावित शोध की महत्ता इस बात में निहित है कि सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से उपेक्षित अनुसूचित महिलाओं के लिए यह अध्ययन आधार प्रदान करेगी कि किसी प्रकार उनका क्रमिक विकास किया जाए। साथ ही सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का व्यवहारिक अध्ययन करना तथा पता लगाना, की यह कहाँ तक प्रभावी है।

इस शोध की प्रासंगिकता इस बात में निहित है कि मुझे अनुसूचित जाति की महिलाओं के जीवन शैली को काफी नजदीक से जानने तथा समझाने को मिला और यह एहसास हुआ कि इनका जीवन स्तर को ऊँचा करने के लिए इन पर अध्ययन करना आवश्यक है।

साहित्य समीक्षा :

इस शोध कार्य हेतु साहित्य समीक्षा के अंतर्गत अनेक पुस्तकों का अध्ययन करना है जिसमें निपुन आलंबयन की किताब भारतीय राजव्यवस्था में लोकतंत्र एवं संविधान के बारे में विस्तार से लिखा गया है। वहीं कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिच एंगेल्स ने 1891 में अपनी किताब द क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम में लिखा है की पूंजीवादी और साम्यवादी समाज के मध्य में ही एक का दूसरे में रूपांतरण की समय सीमा निहित होती है। ठीक इसी प्रकार राजनीतिक संक्रमण की अवधि भी होती है जिसमें राज्य सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद और साम्यवाद में भेद किया गया है।

अनुसूचित जाति की महिलाओं के इतिहास से संबंधित अध्ययनों में समाज में जैसे–जैसे एक छोटा मध्यवर्ग उभर रहा है वैसे ही इस समुदाय से लोग नये और आधुनिक तकनीक, विचार, सोच, जीवन–शैली के अलावा नये कार्य क्षेत्रों को भी अपना रहे हैं– आधुनिक शिक्षा एवं उभरती सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक जटिलताओं और अवसरों ने उनके जीवन को कई तरह से प्रभावित किया है।

प्रभात प्रकाशन की अनुज कुमार सिन्हा द्वारा लिखित पुस्तक ब्यूरोकेट्स और झारखंड में अनुसूचित समाज के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण तीन पहलुओं का अध्ययन मिलता है। साथ ही स्त्री महागाथा की महज एक पंक्ति नामक पुस्तक जो रोज केरकेट्टा द्वारा लिखी है. में अनुसूचित जाति की महिलाओं की जीवन शैली, संघर्ष और प्रथाओं पर कठोर प्रहार मिलता है।

डॉ० रमणिका गुप्ता के सम्पादन में लिखी पुस्तक अखिल भारतीय अनुसूचित जाति के विशेषांक में लिखा है कि सदियों पहले महिलाओं को राजनीति में प्रवेश करने पर पाबंदी थी। राजनीति में उनके प्रवेश की बात आते ही, विरोध में बुजुर्गों की भंवें तन जाया करती थीं और उन्हें यह कहकर रोक दिया जाता था कि औरते तो बस मुर्गियों की तरह हैं. पुरुषों के क्षेत्र में उनका भला क्या काम। पर बीसवीं सदी के आगमन के साथ–साथ महिलाओं ने राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरु कर दिया।

अरुण सूरी ने अपनी किताब संसदीय प्रणाली में लिखा है कि झारखण्ड की महिलाएँ जो राजनीति में वर्तमान समय में रूचि लेती दिखाई पड रही है आज

के समय शिक्षित परिवार की महिला हो या एक गरीब परिवार की महिला राजनीतिक के महत्व को समझने लगी है और चुनाव में प्रतिनिधि बनकर या मतदाता बनकर चुनाव का हिस्सा बन अपनी राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित कर रही है।

अनुसूचित जाति की महिलाओं का आंदोलनकारी इतिहास रहा है इस बात को प्रमाणित करती अनुज कुमार सिन्हा की किताब शोषण, संघर्ष और शहादत में लिखा है कि झारखण्ड आंदोलन की अगर हम बात करें तो कई महिलाओं ने बढ–चढकर हिस्सा लिया और कई बडे कार्यों को अंजाम दिया। महिलाएँ आंदोलन के दौरान चाहे वह थाना का घेराव हो या गुंडों को हमला या पुलिस जुल्म का विरोध झारखण्ड की महिलाओं ने अपनी कला, कौशल, बल–बुद्धि का परिचय हर बार दिया। जब भी झारखण्ड आंदोलन के दौरान कई रैली, धरना, बडी सभाएँ हुई जिनमें महिलाओं ने अपना करते हुए घरेलू कामकाज करते हुए आंदोलन में भाग लिया।

महिला आरक्षण का अनुसूचित जाति की महिलाओं पर क्या प्रभाव पडा ये बात अनुराग ने अपनी किताब झारखंड में सुशासन में बहुत अच्छे से वर्णित की है की पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किए जाने वाले प्रावधान से कई प्रकार के बदलाव उनमें देखे गए हैं। महिलाओं के विकास की प्रक्रिया में हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। सामाजिक रूप से उनमें बदलाव और सुधार हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हुआ है। पुरुषों के साथ महिलाएँ जो बातचीत करने में संकोच करती थी या साथ कार्य करने से डरती थी वह अब कम हो रहा है। पंचायत स्तर के उच्च अधिकारियों से वे अब आसानी से संपर्क स्थापित कर अपनी समस्याओं को उनके

समक्ष रख पाती है। पिछडे वर्ग की महिलाओं को अब राजनीति में हिस्सा लेने का अवसर आरक्षण के द्वारा ही प्रदान किया गया है।

अनुज कुमार सिन्हा द्वारा रचित झारखंड राजनीति और हालत पुस्तक में झारखंड स्थापना से पहले और बाद की एक–एक कडी जानने को मिली। उस वक्त का माहौल और राजनीतिक उथल–पुथल का विस्तृत वर्णन पढने को मिला जिसमें से कुछ मुख्य बातों को शोध में शामिल किया जायेगा।

अनुज्ञा प्रकाशन से प्रकाशित पुस्तक भारतीय लोकतंत्र में लेखक पुनीत कुमार द्वारा एकत्रित लोकतंत्र और भारत की स्थिति संबंधी डाटा को प्रथम अध्याय में समाहित किया गया है। डॉ० प्रभुनाथ सिंह द्वारा लिखी किताब राजनैतिक अवधारणाएँ और भारतीय लोकतंत्र में लिखा है कि राजनीतिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक राजनीतिक व्यवस्था के नये प्रकार लक्ष्यों को निरंतर सफल रूप में प्राप्त करने की क्षमता बनी रहती है।

शोध प्रश्न :–

1. अनुसूचित जाति की महिलाओं का सामाजिक स्तर कैसा है ?
2. अनुसूचित जाति की महिलाओं का शिक्षा के क्षेत्र में पीछे रहने का क्या कारण है ?
3. अनुसूचित जाति की महिलाओं का राजनैतिक स्तर कैसा है ?
4. क्या अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की आवश्यकता है ?
5. अनुसूचित समाज में महिलाओं का किस प्रकार से शोषण होता है ?

6. झारखण्ड राज्य निर्माण में अनुसूचित जाति की महिलाओं का क्या योगदान रहा ?

शोध पद्धति :

प्रस्तावित शोध ऐतिहासिक तथा विश्लेषणात्मक होगा। साथ ही प्रस्तावित कार्य हेतु संवाद विधि, सर्वेक्षण विधि, विश्लेषण विधि जैसे आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा साक्षात्कार, प्रश्नावली जैसे पारम्परिक विधियों का प्रयोग कर विश्लेषण किया जाएगा।

अध्यायीकरण :

प्रथम अध्याय : भूमिका – उपरोक्त अध्याय में शोध–कार्य की प्रस्तावना लिखी गई है जिसमें समाज पर चर्चा करते हुए झारखण्ड राज्य की जीवन शैली के विषय में अध्ययन किया जायेगा।

द्वितीय अध्याय : लोकतांत्रिक व्यवस्था तथा सामाजिक एवं राजनीतिक विकास का अर्थ और संबंध– इस अध्याय मे लोकतंत्र का अर्थ बताते हुए कई विद्वानो की परिभाषाओ का उल्लेख कर लोकतंत्र की विशेषताएं बताई जायेगी और साथ ही लोकतंत्र के सभी सिद्वांत जैसे पुरातन उदारवादी सिद्वांत अभिजन सिद्वांत सहभागिता सिद्वांत बहुलवादी सिद्वांत तथा मार्क्सवादी सिद्वांत का विस्तार से वर्णन किया जायेगा।

तृतीय अध्याय :अनुसूचित जाति की ऐतिहासिक एवं राजनीतिक पृष्ठभूमि और विकास– इस अध्याय में अनुसूचित शब्द का अर्थ समझाते हुए इन महिलाओं के

इतिहास के बारे लिखा जायेगा कि भारत मे पाए जाने वाले शैल चित्रो मे देखा जा सकता है कि अनुसूचित जाति की महिलाएँ प्राचीन काल से ही अपना अस्तित्व धारण किए हुए है।

चतुर्थ अध्याय : झारखण्ड में सामाजिक राजनीतिक विकास और अनुसूचित महिला–झारखण्ड राज्य के बारे में एक संक्षिप्त परिचय देते हुए डॉ0 विमला चरण शर्मा की किताब झारखण्ड की जातियाँ से कुछ आंकडे संदर्भित करते हुए झारखण्ड राज्य में अनुसूचित जातियों के विषय में बात की गई है साथ ही झारखण्ड और उसके सामाजिक विकास के बारे में लिख गया है।

पंचम अध्याय :– रांची जनपद की सामाजिक, राजनीतिक संरचना और अनुसूचित जाति की महिला – इस अध्याय में झारखण्ड राज्य का सामान्य परिचय देते हुए इनके गठन व उसकी अवधारणा पर चर्चा किया गया है, जिसमें झारखण्ड को खनिज संपदा उत्कृष्ठ मानव संसाधनों के लिए जाना जाता है। इसके अतिरिक्त झारखण्ड राज्य के गठन व भारत संघ के 28वें राज्य के रूप में आगमन की विस्तार से वर्णन किया जायेगा।

षष्ठ अध्याय :– सारांश व निष्कर्ष – इस अध्याय में सारांश व निष्कर्ष प्रस्तुत किया जायेगा साथ ही साथ अनुसूचित महिलाओं की समस्याएँ एवं सुझाव भी प्रस्तुत किया गया है।

अन्त में विशिष्ट शब्द तथा परिशिष्ट को जोड़ा जायेगा जिसके अन्तर्गत साक्षात्कार व प्रश्नावली को शामिल किया गया है साथ ही रांची जनपद की

अनुसूचित जाति की महिलाओं से लिए गए साक्षात्कार के छायाचित्र प्रस्तुत किये जायेंगे।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1 आहूजा रामः सामाजिक अनुसंधान प्रकाशन : रावत पब्लिकेशन सत्यम अपार्टमेन्ट, सेक्टर 3, जैन मन्दिर रोड, जवाहर नगर, जयपुर, वर्ष 2004

2 गुप्ता आर, : सामान्य ज्ञान, रमेश पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, वर्ष 2015

3 तिवारी डॉं संजय एवं डॉं शैल प्रभा कोष्टा, ग्रामीण विकासः सरकार की विविध योजनाएं, ओमेगा पब्लिकेशन, नई दिल्ली– 110002

4 भारत 2010, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार वर्ष 2010

5 मुखर्जी डॉं रवीन्द्रनाथ : सामाजिक शोध व सांख्यिकी, प्रकाशन : विवेक प्रकाशन जवाहर नगर, दिल्ली–7, वर्ष 2009

6 वोहरा वंदना : रिसर्च मैथडोलॉंजी, प्रकाशन,:ओमेगा पब्लिकेशन्स, 4398/5 अंसारी रोड दरियागंज, नई दिल्ली, वर्ष 2011, पृष्ठ 160

7 वार्षिक रिपोर्ट ग्रामीण विकास (2007–2008): ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार, नई दिल्ली, वर्ष 2007–2008

8 www.cencusindia.gov.in

9 www.rural.nic.in